NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता–4x3000 किलोवाट) लघु जल विद्युत परियोजना (10.236 हैक्टेयर) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य के अतिदुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तांकुल (क्षमता–4x3000 किलोवाट) लघु जल विद्युत परियोजना सिमखोलागाड़ पर प्रस्तावित एक रन ऑफ दि रिवर जल विद्युत परियोजना है, जो कि पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील में स्थित है। सिमखोलागाड़ काली नदी की एक छोटी सहायक नदी है जिस पर साल भर पानी उपलब्ध रहता है।

परियोजना में डायवर्जन वियर, 3.5 किलोमीटर लम्बी शक्ति नहर, फोरवे, पेनस्टॉक पाइप एवं विद्युत गृह का निर्माण किया जायेगा।

परियोजना से प्रतिवर्ष 70.72 एम0यू0 बिजली उत्पादित होने का अनुमान है। परियोजना की कुल लागत रू0 11842.76 लाख है एवं इससे उत्पादित बिजली की दर 3.48/यूनिट है।

उपरोक्त परियोजना एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है। परियोजना द्वारा उत्पादित बिजली का उपयोग प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने में किया जायेगा। धारचूला के सुदूर गावों में विद्युतीकरण करने में इस उत्पादित बिजली का उपयोग किया जायेगा। परियोजना बनने से क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होगा और बिजली की उपलब्धता होने पर उद्योग–धन्धों का विकास होना निश्चित है।

प्रस्तावित समरेखण सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है एवं अन्य किसी श्रेणी की भूमि इस समरेखण से प्रभावित नहीं होती है। समरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, मन्दिर, कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

इस परियोजना निर्माण के समरेखण में नाप भूमि 0.839 हैक्टेयर, सिविल सोयम भूमि 9.397 हैक्टेयर है तथा वन पंचायत भूमि 0.00 हैक्टेयर एवं आरक्षित भूमि 0.00 हैक्टेयर प्रभावित हो रही है, जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित समरेखण को अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, जिस में उक्त समरेखण में परियोजना का निर्माण तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है, (प्रति संलग्न)। इस परियोजना में आने वाली कुल सिविल सोयम 9.397 हैक्टेयर भूमि यूजेवीएन लिमिटेड को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

अवर अभियन्ता	सहा0 अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
यूजेवीएन लिमिटेड,	यूजेवीएन लिमिटेड,	यूजेवीएन लिमिटेड,
धारचूला (पिथौरागढ़)	धारचूला (पिथौरागढ़)	धारचूला (पिथौरागढ़)

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग